प्रकरण संख्या : 63/2022
महेशचन्द बनाम राज० सरकार वगै०
निर्णय दिनांक : 13.01.2026

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजू मीणा, RAS
प्रकरण संख्या : 63/2022
दायर दिनांक : 24.11.2022
निर्णय दिनांक : 13.01.2026

1. महेशचन्द पुत्र नानगराम जाति ब्राह्मण, निवासी भांडारेज तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा
2. कृष्णावतार पुत्र प्रहलादनारायण जाति महाजन, निवासी भाण्डारेज तहसील दौसा
3. भगवती देवी पत्नी राधेश्याम जाति महाजन, निवासी भाण्डारेज तहसील दौसा
4. मंदिर श्री मुरली मनोहर जी जरिए पुजारी हरिशंकर जी पुत्र श्रवणलालजी भागवती जाति ब्राह्मण, निवासी भाण्डारेज तहसील दौसा
5. मंदिर श्री मुरली मनोहर जी जरिए पुजारी सत्यनारायण पुत्र रेवडमल जाति ब्राह्मण, निवासी भाण्डारेज तहसील दौसा
6. उगन्ती पत्नी गिर्राज जाति माली, निवासी भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा
7. छोटा देवी पत्नी हाबूडा जाति माली, निवासी भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा
8. जमना देवी पत्नी मीठ्ठूराम जाति माली, निवासी भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा
9. नर्बदा पत्नी छोटेलाल जाति माली, निवासी भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी * उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भाण्डारेज स्थित खसरा नम्बर 196 रकबा 1.25 है० का रिकॉर्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार प्रार्थी है। प्रार्थी ने उक्त भूमि का दिनांक 21.04.2022 को सीमाज्ञान भी करवा लिया है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की पशुओं से सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पडौसी खातेदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त भूमि की राजस्व टीम गठित कर पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 व 9 के विरुद्ध बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सेडूराम शर्मा ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री मिट्ठनलाल गुर्जर ने पावर पेश किया।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बावजूद अवसर जवाब पेश न किये जाने के कारण इनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 ने अपने जवाब में प्रार्थी एवं अप्रार्थी की आराजीयात का सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने का कथन किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। मुताबिक जवाब तहसीलदार भाण्डारेज प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने एवं किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने की पुष्टि होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका

पर्चा दिनांक 21.04.2022 से प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किये जाने की पुष्टि होती। निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज स्थित खसरा नम्बर 196 रकबा 1.25 है० का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)